

वित्त निर्देश-58/2012

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन  
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 247/एफ-1000709/12/वित्त/नियम/चार,

रायपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2012


प्रति

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, रायपुर ।
2. समस्त प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  
/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।  
छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त  
छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन ।  
संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 317/आर-99/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक 12.11.  
2007 ।

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों को दिये गये अधिकारों में संलग्न प्रपत्र  
अनुक्रमांक 26 एवं 39 के प्रत्यायोजनों को पुनःस्थापित किया जाता है । इस संशोधन के  
अतिरिक्त पूर्व में सौंपे गये अधिकार यथावत रहेंगे ।  
2/ संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं को अपने स्तर पर सूचित करें ।  
3/ यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।  
संलग्न-प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

